

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

7743
21/11/2017

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8

सं० 955/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून :: दिनांक:: 21 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेतर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है ।
(2) यह नियम दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझे जायेंगे ।
- नियम 3 में संशोधन
2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें एतस्मिन् पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के स्तम्भ -1 में दिए गए वर्तमान नियम 3 के उपनियम (3क) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3क). उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 01 अक्टूबर, 2017 से, उक्त तिथि से पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में समान पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-	(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल की है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप

<p>03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा:</p> <p>परंतु यह कि उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।</p>	<p>जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :</p> <p>परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।</p>
--	---

नियम 46 में 3. "मूल नियम" के नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया संशोधन जाएगा, अर्थात् :-

46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल "पूर्ति का बीजक-सह-बिल" जारी कर सकेगा ।

नियम 54 में 4. "मूल नियम" के नियम 54 के उपनियम (2) में,- संशोधन

(क) "बीजक" शब्दों के स्थान पर, "समेकित कर बीजक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो" शब्दों के पश्चात्, "मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नियम 62 में 5. "मूल नियम" के नियम 62 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक संशोधन अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्ररूप जीएसटीआर-4 में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।

प्ररूप जीएसटी 6. प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में "देखें नियम 3(2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के सीएमपी-02 में स्थान पर, "देखें नियम 3(3) और 3(3क)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । संशोधन

प्ररूप 7. प्ररूप जीएसटीआर-1 में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
 जीएसटीआर-1 अर्थात् :-
 में संशोधन

“6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इकाइयों या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां									
6ग. माना गया निर्यात									

प्ररूप 8. प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,
 जीएसटीआर-1क अर्थात् :-
 में संशोधन

“4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							

4ख. माना गया निर्यात	
	” ;

- प्ररूप जीएसटी 9. प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित
आर-4 में किया जाएगा, अर्थात् :-
- संशोधन 10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर
अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी"।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 955 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 955/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017, dated 17 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 955/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 17 November, 2017

Notification

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act(as applicable in Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017

- Short title and Commencement** 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall deemed to come into force from the 13th day of October, 2017.
- Amendment in Rule 3** 2. In Rule 3 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as the principal rules), for the existing sub-rule (3A) set out in column-1 below, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Hereby substituted sub-rule
(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has applied for registration under sub-rule (1) of rule 8 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of October, 2017 by electronically filing an intimation in FORM GST CMP-02 , on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, before the said date and shall furnish the statement in	(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in FORM GST CMP-02 , on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before the 31 st day of March, 2018, and shall furnish the

<p>FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the said date;</p> <p>Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in FORM GST TRAN-1 after the statement in FORM GST ITC-03 has been furnished.”;</p> <p>(ii) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “or sub-rule (3)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (3A)” shall be inserted;</p>	<p>statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:</p> <p>Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in FORM GST TRAN-1 after the statement in FORM GST ITC-03 has been furnished.”;</p>
---	---

Amendment in Rule 46 3. After rule 46 of the “Principal Rules”, the following rule shall be inserted, namely:-

46A. Invoice-cum-bill of supply.- Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, he may issue a single “invoice-cum-bill of supply” for all such supplies.

Amendment in Rule 54 4. In sub-rule (2) of Rule 54 of the “Principal Rules”-

(a) for the words “tax invoice” the words “consolidated tax invoice” shall be substituted;

(b) after the words “by whatever name called”, the words “for the supply of services made during a month at the end of the month” shall be inserted;

Amendment in Rule 62 5. In sub-rule (1) of Rule 62 of the “Principal Rules”, the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in **FORM GSTR-4** for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.”;



Amendment in FORM GST CMP-02 6. in **FORM GST CMP-02**, for the words, figures and brackets “See rule 3(2)”, the words, figures, brackets and letter “See rule 3(3) and 3(3A)” shall be substituted.

Amendment in FORM GSTR-1 7. In **FORM GSTR-1**, for Table 6, the following shall be substituted, namely:-

“6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6A. Exports									
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer									
6C. Deemed exports									
									”;

Amendment in FORM GSTR-1A 7. In **FORM GSTR-1A**, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-


“4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer							
4B. Deemed exports							

**Amendment in
FORM GSTR-4**

8. In **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:-

10. For the tax period July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”



(Radha Raturi)
Principal secretary